

संख्या-5/बजट 1-07/2015 सा0-...../

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक-

2015

**विषय:-** बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन, विपत्र कोड-N2053000930001, मांग संख्या-33 के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल राशि ₹ 1,18,00,000/- (एक करोड़ अठारह लाख) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन, विपत्रकोड-N2053000930001, मांग संख्या-33 के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल राशि ₹ 1,18,00,000/- (एक करोड़ अठारह लाख) मात्र आवंटित किया जाता है।

- राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-396 दिनांक-24.04.2015 एवं पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998 में दिये गये निदेश एवं एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के अनुसार की जायेगी।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से की जाए।
- मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाए।
- आवंटित राशि से कर्मियों के सिर्फ मानदेय (वेतन संबंधित) का भुगतान किया जाएगा। किसी अन्य का भुगतान उक्त आवंटित राशि से नहीं किया जाएगा।
- आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
- उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की माँग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाए।
- आवंटन प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- जिन जिलों से सामान्य प्रशासन/गृह/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का डी0सी0 विपत्र बार-बार मांग करने पर भी अप्राप्त है, उन्हें वेतन के अतिरिक्त अन्य मदों का आवंटन तभी दिया जाएगा जब ए0सी0 विपत्र के विरुद्ध निकासी की गयी राशि का 100% सामंजन हो जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव

संख्या-5/बजट 1-07/2015 सा0-...../

25

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.7.2015

सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला  
स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन) आवंटन :-

क्र० सं०	जिला का नाम	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28 01)
0	1	2
1	भोजपुर	3,00,000
2	कैमूर (भमुआ)	3,00,000
3	जहानाबाद	2,00,000
4	अरवल	2,00,000
5	सीतामढ़ी	3,00,000
6	बेगूसराय	3,00,000
7	कटिहार	3,00,000
8	पटना	5,00,000
9	बक्सर	3,00,000
10	रोहतास	4,00,000
11	नालन्दा	4,00,000
12	गया	5,00,000
13	नवादा	3,00,000
14	औरंगाबाद	3,00,000
15	मुजफ्फरपुर	4,00,000
16	पू०चम्पारण	4,00,000
17	प०चम्पारण	4,00,000
18	शिवहर	2,00,000
19	वैशाली	4,00,000
20	दरभंगा	3,00,000
21	मधुबनी	3,00,000
22	समस्तीपुर	4,00,000
23	सारण	3,00,000
24	सिवान	3,00,000
25	गोपालगंज	3,00,000
26	भागलपुर	3,00,000
27	बांका	3,00,000
28	मुंगेर	2,00,000
29	लखीसराय	2,00,000
30	शेखपुरा	2,00,000
31	जमुई	2,00,000
32	खगड़िया	2,00,000
33	पूर्णिया	4,00,000
34	अररिया	3,00,000
35	किशनगंज	3,00,000
36	सहरसा	3,00,000
37	मधेपुरा	3,00,000
38	सुपौल	3,00,000
कुल योग :-		1,18,00,000

(एक करोड़ अठारह लाख) रुपए मात्र

सरकार के अपर सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग

49/7/2015

संख्या-5/बजट 1-07/2015 सा0-.....25...../  
बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक- 10.7. 2015

**विषय:-** बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन, विपत्र कोड-N2053000930001, मांग संख्या-33 के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल राशि ₹ 1,18,00,000/- (एक करोड़ अठारह लाख) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन, विपत्रकोड-N2053000930001, मांग संख्या-33 के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल राशि ₹ 1,18,00,000/- (एक करोड़ अठारह लाख) मात्र आवंटित किया जाता है।

- राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-396 दिनांक-24.04.2015 एवं पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998 में दिये गये निदेश एवं एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के अनुसार की जायेगी।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से की जाए।
- मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाए।
- आवंटित राशि से कर्मियों के सिर्फ मानदेय (वेतन संबंधित) का भुगतान किया जाएगा। किसी अन्य का भुगतान उक्त आवंटित राशि से नहीं किया जाएगा।
- आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
- उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की माँग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाए।
- आवंटन प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- जिन जिलों से सामान्य प्रशासन/गृह/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का डी0सी0 विपत्र बार-बार मांग करने पर भी अप्राप्त है, उन्हें वेतन के अतिरिक्त अन्य मदों का आवंटन तभी दिया जाएगा जब ए0सी0 विपत्र के विरुद्ध निकासी की गयी राशि का 100% सामंजन हो जाय।

विश्वासभाजन

10/7/2015

(केशव कुमार सिंह)  
सरकार के अपर सचिव